21-7-25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र संख्या 437/2013 अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 ब अनवान कोडोबाई बनाम सुरजीत सिंह आदि दिनांक 18.12.2023 को अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज की गई थी, जिसे पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थी कोडोबाई की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2024 को पेश किया गया तथा उसी दिन यह प्रार्थना पत्र स्वीकार भी किया जा चुका है। परन्तु इसी पत्रावली में आगे कार्यवाही की जा रही है, जबकि हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के बाद मूल पत्रावली संख्या 437/2013 पुर्नस्थापित (RESTORE) की जाकर मूल अपील में आगामी कार्यवाही की जानी थी।

चूंकि जब प्रकरण में आदेशिका दिनांक 07.02.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किया चुका है तो हस्तगत पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र संख्या 07/2024 इसी स्तर पर दाखिल दफ्तर किया जाता है तथा प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ से बिन्दुवार रिपोर्ट चाहने संबंधी पत्र संख्या रीडर/2025/151 दिनांक 07.05.2025 को मूल अपील में शामिल किया जावे। मूल पत्रावली संख्यां 437/2013 सीगा 11, 14 अनवान कोडोबाई बनाम सुरजीत सिंह व अन्य को पुनः नये नम्बर पर दर्ज कर आदेश दिनांक 18.12.2023 से पूर्व की स्थिति से पुनः प्रारम्भ करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिवक्ता उभय पक्ष सूचित रहे।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner